कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति मूल/2019 दिनांकः 10.06.2019

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, मुख्यालय,
जालौर ।

:: **रजिस्टर्ड–पत्र** ::

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण में मृतक एवं आवेदक के नाम/उपनाम विसंगति के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति नियम–1996 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरणों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि मृतक के मृत्यु प्रमाण–पत्र, मृतक के सेवा समाप्ति आदेश, आवेदन–पत्र एवं आवेदक की शैक्षणिक योग्यता में मृतक का नाम, संबंधी का नाम एवं आवेदक के नाम/उपनाम में भिन्नता पायी गयी है । अतः निर्देशानुसार उक्त भिन्नता के संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त किया जावे कि उक्त में अंकित नाम एक ही व्यक्ति के है तथा भविष्य में यदि इस संबंध में कोई आपत्ति/आक्षेप किया जाता है तो इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा ।

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	मृतक का नाम	आवेदित पद
01	अरविन्द कुमार	स्व. चुन्नीलाल	कनिष्ठ सहायक

निर्देशानुसार लेख है कि उक्त आशय के शपथ–पत्र संबंधित से व्यक्तिशः प्राप्त कर दिनांक 13.06.2019 तक कार्यालय वाहक के साथ अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के पास भिजवावें तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र देवें कि मैंने व्यक्तिशः प्रकरण का पुनः परीक्षण नियमानुसार कर लिया है आवेदक नियुक्ति का पात्र है अतः नियुक्ति की अभिशंषा की जाती है । इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो इसका पूर्णरूप से ध्यान रखें अन्यथा विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

संलग्न :– मूल प्रकरण

उपनिदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर